अनुदान संख्या 63 - पेयजल और स्वच्छता विभाग
GRANT No. 63 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	134413,12,00				
				134413,14,00	59790,44,15	-74622,69,85
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					74622,68,74

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	11630322.00			
पू.	S.	1.00	5592039.25	5592039.08	-0.17
पु.	R.	-6038283.75			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	661580.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-661581.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1096498.00	372265.19	372265.19	..
पु.	R.	-724232.81			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	50000.00	11679.40	11679.40	..
पु.	R.	-38320.60			

(I) आठ मदों के तहत ₹7380781.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7380780.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे : –

(का) मुख्य शीर्ष "2215" –

(क) "जल आपूर्ति – आरक्षित निधि को अंतरण – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ)–जेजेएम में अंतरण" – ₹6000000.00 लाख;

(ख) "सीवरेज और स्वच्छता – आरक्षित निधि को अंतरण – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ) – एसबीएम(जी) में अंतरण" – ₹115161.00 लाख; और

(I) Provision of ₹7380781.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹7380780.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2215" -

(a) "Water Supply - Transfer to Reserve fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)-JJM" - ₹6000000.00 lakhs;

(b) "Sewerage and Sanitation - Transfer to Reserve fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) - SBM(G)" - ₹115161.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – आरक्षित निधि को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) –एसबीएम(जी) में अंतरण" – ₹579039.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से धनराशि नहीं मिलने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

क) "जल आपूर्ति – ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम – जल जीवन मिशन" – ₹600000.00 लाख; और

ख) "सीवरेज और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएँ – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹61580.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक धनराशि के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण अप्रयुक्त रहे।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – आरक्षित निधि में अंतरण – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ) – एसबीएम(जी) में अंतरण" – ₹25000.00 लाख – व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "जलापूर्ति" –

क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – जल जीवन मिशन" – ₹110000.00 लाख की

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve fund -Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)-SBM(G)" - ₹579039.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to reduction of provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-embarking of funds from Central Road and Infrastructure Fund.

(C) Major Head "2552" -

(a) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Jal Jeevan Mission" - ₹600000.00 lakhs; and

(b) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - ₹61580.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects / schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) - SBM(G)" - ₹25000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(II) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Jal Jeevan Mission" - saving of

बचत (₹1320000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जल जीवन मिशन" – ₹28672.19 लाख की बचत (₹600000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के तहत बचतें औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने, राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य शेयर जारी नहीं करने, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने और स्थापना संबंधी खर्चों के लिए मितव्ययिता उपाय करने के कारण थी।

(खा) "सीवरेज और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹6595.74 लाख की बचत (₹115161.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और गोवर्धन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹80931.16 लाख की बचत (₹328379.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹43683.71 लाख की बचत (₹130000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जन जातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹20578.94 लाख की बचत (₹59080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

₹110000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320000.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Jal Jeevan Mission" - saving of ₹28672.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-completion of formalities, non-release of matching share by State Governments, availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies and austerity measures for establishment related expenses.

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - saving of ₹6595.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115161.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and non-clearance of proposal to set up centre for excellence for Govardhan in collaboration with Indian Council of Agricultural Research.

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - saving of ₹80931.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹328379.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - saving of ₹43683.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130000.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - saving of ₹20578.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59080.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के तहत बचतें कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow progress in implementation of the programmes.

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों में हुईं :–

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred in the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹7446.25 लाख की बचत (₹17000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - saving of ₹7446.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17000.00 lakhs); and

(खा) "जन जातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹1332.06 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - saving of ₹1332.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी द्वारा धन का आहरण नहीं किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and non-drawal of funds by UT of Puducherry.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" – ₹4542.29 लाख की बचतें (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - savings of ₹4542.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹222145.01 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसम्बर, 2022 में मुख्य शीर्ष "2215" – "ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों – जल जीवन मिशन" – के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

2. The above savings were partly (₹222145.01 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head "2215" - "Water Supply - Rural Water Supply Programmes - Jal Jeevan Mission."